समयबद्ध /शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-2/2016/412/33-2-2016-114जी/2008

प्रेषक,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 03 फरवरी, 2016

विषय:- प्रदेश में जिला पंचायतों द्वारा किसी भी प्रकार के शुल्क, राजस्व, कर, रायल्टी आदि की वसूली हेतु लगाये गये बैरियर को प्रतिबंधित किये जाने संबंधी दिशा-निर्देश के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- 3695/33-2-08-114जी/08, दिनांक 07.07.2008, पत्र संख्या- 1273/33-2-12-16सी0क्यू0/12, दिनांक 11.06.2012 एवं पत्र संख्या- 1835/33-2014-114जी/08 दिनांक 18 सितम्बर, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन उप विधि बनाकर जिला पंचायतों द्वारा आरोपित किसी भी प्रकार के शुल्क आदि की वसूली के लिये किसी भी स्थान पर किसी प्रकार का बैरियर न लगाये जाने के दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, परन्तु शासन के संज्ञान में आया है कि उपविधि के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है।

2- जिला पंचायतों के क्षेत्र के अन्तर्गत बैरियर लगाकर शुल्क वसूली करने से जनमानस को समस्या का सामना करना पड़ता है।

3- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला पंचायतों के क्षेत्र के अन्तर्गत बिना बैरियर लगाये ही शुक्ल की वसूली की जाय, परन्तु इससे जिला पंचायतों की राजस्व आय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी न पड़े।

4- कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाय तथा किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-412(1) /33-2-2016- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन के उपर्युक्त पत्रों द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा अनुपालन आख्या जिलाधिकारी के माध्यम से निर्धारित समयान्तर्गत उपर्युक्त ई-मेल पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।